न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

निगरानी संख्या– 143/2014–15 अन्तर्गत धारा–333 जमी0वि0अधि0

श्री ओमप्रकाश पुत्र स्व0 देवी दयाल निवासी–रानीपोखरी ग्रांट, हाल निवासी–वाल्मीकि नगर, रेलवे रोड़, ऋषिकेश, जिला–देहरादून।

बनाम

श्री सुनील गुजराल पुत्र स्व0 छत्रगुण गुजराल निवासी–64/4 रेसकोर्स, देहरादून।

संशोधन आदेश

उपरोक्त निगरानी में पारित निर्णयादेश दिनांक 24–02–2016 के पृष्ठ संख्या–6 में लिपिकीय त्रुटिवश आदेश दिनांक 20–03–2015 के स्थान पर 23–03–2015 टँकित हो गया है। अतः निर्णयादेश दिनांक 24–02–2016 के पृष्ठ–6 में जहाँ–जहाँ आदेश दिनांक 23–03–2015 टँकित हुआ है उसे आदेश दिनांक 20–03–2015 संशोधित पढ़ा जाय। निर्णयादेश दिनांक 24–02–2016 उक्त सीमा तक सँशोधित समझा जाय। शेष भाग यथावत रहेगा।

दिनांकः 29 फरवरी, 2016

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)।

न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

निगरानी संख्या– 143/2014–15 अन्तर्गत धारा–333 जमी0वि0अधि0

श्री ओमप्रकाश पुत्र स्व0 देवी दयाल निवासी–रानीपोखरी ग्रांट, हाल निवासी–वाल्मीकि नगर, रेलवे रोड़, ऋषिकेश, जिला–देहरादून।

बनाम

श्री सुनील गुजराल पुत्र स्व0 छत्रगुण गुजराल निवासी–64/4 रेसकोर्स, देहरादून।

उपस्थित : श्री पी0एस0जंगपांगी, सदस्य(न्यायिक)।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता : श्री रघुवीर सिंह।

अधिवक्तागण प्रतिउत्तरदाता : श्री मधुसूदन शर्मा,श्री सुनील कुमार वर्मा, श्री सोमेश डोभाल।

निर्णय

यह पुनरीक्षण पुनरीक्षणकर्ता उपरोक्त ने धारा–219 भू0रा0अधि0 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है जिसे धारा 333जमीं0वि0अधि0 के अन्तर्गत सुना एवं निस्तारित किया जा रहा है। धारा एवं अधिनियम संयोजन की त्रुटि पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के स्तर पर हुआ है जिसका दण्ड पुनरीक्षकर्ता को नही दिया जा सकता है।

प्रकरण संक्षेप में निम्नवत है:–

वाद संख्या–28/2008–09 अन्तर्गत धारा–229बी जमीं0वि0एवं भू0व्य0अधि0 उभयपक्षों के मध्य न्यायालय सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी ऋषिकेश में गतिमान हैं जिसमें विवाद्यक स्थरीकृत करके प्रारम्भिक विवाद्यकों पर सुनवाई कर उनका विनिश्चयन होना था परन्तु इस मध्य दिनांक 11–07–2014 को वादी पक्ष/पुनरीक्षणकर्ता की ओर से कतिपय अभिलेखीय साक्ष्य सूची कागजात संख्या–7/91 द्वारा यथा प्रदर्शित प्रस्तुत किया गया जिसके ग्राहयता के विरूद्ध प्रतिवादी/उत्तरदाता द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई एवं वादी/पुनरीक्षणकर्ता द्वारा प्रति आपत्ति भी प्रस्तुत की गई। विद्वान सहायक कलेक्टर द्वारा उक्त अभिलेखीय साक्ष्यकों को ग्रहण किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 28–11–2014 को एक सूक्ष्म आदेश निम्नवत् पारित किया गया।

" पत्रावली पेश। वादी की आपत्ति निरस्त। प्रा0पत्र 9–9–14 को स्वीकार किया जाता, दिनांक 17–12–14 को पेश हो "

इसी आदेश के विरूद्ध वर्तमान पुनरीक्षण प्रस्तुत किया गया है।

अवर न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि वादी/पुनरीक्षणकर्ता द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिनांक 23–01–2015 को आक्षेपित आदेश दिनांक 28–11–2014 को अपास्त कर उसके द्वारा प्रस्तुत सूची दिनांक 11–07–2014 के साथ प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्य गृहीत किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया। इस प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया एवं प्रतिवादी/उत्तरदाता द्वारा उसके विरूद्ध आपत्ति दिनांक 20–02–2015 प्रस्तुत की गई। विद्वान सहायक कलेक्टर, ऋषिकेश ने प्रार्थना पत्र दिनांक 23–01–2015 एवं उसके विरूद्ध प्रस्तुत आपत्ति का तथ्यात्मक उल्लेख करते हुए एक आदेश दिनांक 20–03–2015 को पुनः पारित किया जिसके अधीन उनके द्वारा दिनांक 28–11–2014 के आदेश की पुष्टि की गई। पुनरीक्षण पत्र के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पुनरीक्षण में आदेश दिनांक 20–03–2015 का उल्लेख नही है। सम्भवता पूर्व में ही पुनरीक्षण योजित किये जाने से ऐसा हुआ है।

मैंने उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना एवं अभिलेखों का सम्यक अध्ययन किया।

वादी/पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के मुख्य तर्क ये हैं कि अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना वादी/पुनरीक्षकर्ता का मौलिक अधिकार है एवं उसे साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त था। विद्वान सहायक कलेक्टर, ऋषिकेश द्वारा आक्षेपित आदेश से उसके प्रार्थना पत्र दिनांक 05–08–2014 को अस्वीकार कर उसके विधिक अधिकारों का हनन किया गया है। उनके द्वारा इस सम्बन्ध में अवर न्यायालय के आदेश पत्र दिनांक 28–11–2014 एवं 09–09–2014 की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कतिपय न्यायिक व्यवस्थाओं का उल्लेख किया गया है जिन्हें आगामी प्रस्तरों में विश्लेषित किया जायेगा। विद्वान अधिवक्ता ने पुनरीक्षण धारा–219 भू0रा0अधि0 के अन्तर्गत योजित किये जाने को लिपिकीय त्रुटि बताया तथा अनुरोध किया कि इसे धारा 333जमींवि0अधि0 के अन्तर्गत सुना एवं निर्णीत किया जाए।

प्रतिवादी उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता ने उभयपक्षों के मध्य धारा–34 भू0रा0अधि0 में पारित विद्वान कलेक्टर, देहरादून के आदेश एवं खतौनी में अंकित उनके नाम का उल्लेख करते हुए विक्रय पत्र के आधार पर स्वयं के स्वत्व होने का तथ्य प्रस्तुत किया। विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया है कि दिनांक 24–01–2011 को विवाद्यकों के स्थरीकरण के उपरान्त अभिलेखीय साक्ष्य कैसे ग्राह्य हो सकते हैं जबकि प्रारम्भिक वाद बिन्दुओं पर सुनवाई गतिमान थी। उन्होंने प्रस्तुत किये गये अभिलेखीय साक्ष्य की प्रासंगिकता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाये। विद्वान अधिवक्ता द्वारा आदेश दिनांक 20–03–2015 के विरूद्ध पुनरीक्षण प्रस्तुत न किये जाने एवं पुनरीक्षण एवं वादी पक्ष के प्रकरण में उनके आचरण एवं सत्यनिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह भी लगाया। उनका यह भी तर्क था कि पुनरीक्षण के कोई आधार नही हैं क्योंकि आक्षेपित आदेश अंतिम आदेश न होकर एक अन्तरिम आदेश है जिसके विरूद्ध

पुनरीक्षण पोषणीय नही है। अपने तर्कों के समर्थन में उनके द्वारा कतिपय न्यायिक व्यवस्थाएं प्रस्तुत की गई जिनका विश्लेषण अग्रेतर प्रस्तरों में किया जायेगा।

यह उभयपक्ष को स्वीकार्य है कि विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, ऋषिकेश के समक्ष गतिमान वाद धारा–229बी जमीं0वि0अधि0 के वाद मे विवाद्यक स्थरीकृत हो चुके थे एवं कतिपय विवाद्यकों पर सुनवाई प्राथमिक विवाद्यकों के रूप में होनी थी। इस मध्य वादी पक्ष द्वारा एक सूची दिनांक 11–07–2014 को दस अभिलेखों को साक्ष्य में ग्रहण किये जाने हेतु प्रस्तुत की गई। यह भी स्वीकार्य तथ्य है कि उक्त अतिरिक्त अभिलेखीय साक्ष्य की प्रतिलिपियां वाद पत्र के साथ संलग्न नही थी। विद्वान सहायक कलेक्टर ने उभयपक्षों के प्रार्थना पत्र एवं आपत्ति के क्रम में 28–11–2014 को एक अति सूक्ष्म आदेश, यथा पूर्व में पृष्ठ संख्या–01 में उद्वरित, जिसमें वादी के प्रार्थना पत्र तक का उल्लेख नही है एवं विपरीत इसके प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र दिनांक 09–09–2011 को स्वीकार किये जाने का उल्लेख है जबकि अभिलेखीय साक्ष्य स्वीकार किये जाने का प्रार्थना पत्र वादी की ओर से प्रस्तुत किया गया था पारित किया गया। स्पष्ट है कि इस आदेश के पारित करने में न्यायिक मष्तिष्क का प्रयोग नही हुआ है एवं कदाचित प्रकरण को समझने का प्रयास ही नही किया गया है न ही कोई कारण अंकित किया गया है कि अभिलेखीय साक्ष्य को क्यों नही ग्रहण किया जा सकता है। प्रस्तुत अभिलेखों पर कदाचित दृष्टिपात नही किया गया। ऐसे में उनके वाद में निहित विवाद्यकों के निस्तारण में प्रासंगिकता विचारित करने की बात तो दूर की लगती है।

तद्नुसार आक्षेपित आदेश किसी भी दृष्टि से सुविचारित एवं सुव्यक्त आदेश (reasoned and speaking order) नही है।

यह सही है कि आदेश 13 नियम 1 दीवानी प्रक्रिया संहिता के प्रावधानानुसार उन्हीं अभिलेखीय साक्ष्य को मूल में विवाद्यकों के स्थरीकरण से पूर्व प्रस्तुत किया जायेगा जिनकी प्रतिलिपि वाद पत्र के साथ प्रस्तुत हो। इसी आदेश के नियम 3 के अन्तर्गत न्यायालय किसी भी स्तर पर किसी भी दस्तावेज/अभिलेख को अप्रासंगिकता अथवा अग्राह्य होने के आधार पर सकारण अस्वीकृत कर सकता है। आलोच्य वाद में विवाद्यक स्थिर हो चुके थे। प्रारम्भिक विवाद्यकों पर सुनवाई चल रही थी। निसंदेह दस्तावेजों/अभिलेखों को प्रस्तुत किये जाने का अवसर निकल गया था परन्तु ऐसा भी नही था कि अपरिहार्य स्थितियों के दृष्टिगत एवं वाद में निहित विवाद्यकों के विनिश्चयन हेतु सहायक अभिलेख/दस्तावेज ग्रहण किये ही नही जा सकते थे। वाद में वादी के साक्षीगण के मौखिक साक्ष्य के अन्तर्गत प्रतिपरीक्षण होना शेष था तद्नुसार अतिरिक्त अभिलेखीय साक्ष्य, प्रासंगिक एवं महत्वपूर्ण होने की स्थिति में, ग्रहण किया जा सकता था। इस सम्बन्ध में कोई विधिक निषेध नही था, जैसा कि अपीलीय प्रावधानान्तर्गत अपीलीय न्यायालय को भी अतिरिक्त साक्ष्य, उचित प्रकरण में, ग्रहण करने का अधिकार है, आलोच्य वाद की प्रारम्भिक स्थिति के दृष्टिगत, प्रश्नगत अभिलेखों की प्रासंगिकता प्रथम दृष्टया सिद्ध होने की दशा में उन्हें ग्रहण करने पर विचार होना ही चाहिए था।

वस्तुतः आलोच्य प्रकरण में एतत् सम्बन्धी किसी भी पहलू पर विचार एवं विवेचन नही किया गया। तदनुसार आक्षेपित आदेश अविवेचित एवं सुव्यक्त न होने के आधार पर न्यायिक आदेश है ही नही अर्थात bad in law है। इसी क्रम में यदि विद्वान सहायक कलेक्टर, ऋषिकेश के आदेश दिनांक 20–03–2015 जिसके द्वारा उन्होंने अपने आदेश दिनांक 28–11–2014 को यथावत रखा है को देखा जाए तो विदित होता है कि यह आदेश भी विवेचित/सुव्यक्त (reasoned and speaking order) नही है मात्र तथ्यात्मक घटनाक्रम अंकित कर एक पंक्ति द्वारा आदेश दिनांक 28–11–2014 को यथावत रखा गया है तदनुसार यह आदेश भी न्यायिक आदेश की श्रेणी में नही आता है अर्थात bad in law है।

दूसरा अति महत्वपूर्ण तर्क प्रतिवादी/उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्ततु किया गया था वह है पुनरीक्षण की ग्राहयता। विद्वान अधिवक्ता का मानना है कि आपेक्षित आदेश निस्तारित प्रकरण अथवा case decided की श्रेणी में नही आता है। धारा–333जमीं0वि0अधि0 में पुनरीक्षण किसी निस्तारित वाद अथवा कार्यवाही में पुनरीक्षण अनुमन्य है। आलोच्य प्रकरण में वाद निसंदेह रूप से निस्तारित नही हुआ है परन्तु एक महत्वपूर्ण बिन्दु अंतिम रूप से विनिश्चयित हुआ है। यदि ऐसे विनिश्चयन का वाद पर गंभीर प्रभाव पड़ता हो तो पुनरीक्षण अनुमन्य न किया जाना अन्यायपूर्ण होगा क्योंकि वादी/पुनरीक्षणकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रश्नगत अभिलेखीय साक्ष्य में से कोई भी साक्ष्य/अभिलेख किसी भी विवाद्यक के निस्तारण में यदि महत्वपूर्ण सिद्ध होता है तो उससे वाद के परिणाम पर प्रभाव पड़ेगा। अतः मेरी दृष्टि में आलोच्य आदेश पुनरीक्षण योग्य है। इस क्रम में मेरा ध्यान धारा–115 दी0प्र0सं0 के स्पष्टीकरण की ओर जाता है जो इस प्रकार है " ....ऐसे मामले के अभिलेख को मंगवा सकेगा जिसका ऐसे उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी न्यायालय ने विनिश्चय किया है, अभिव्यक्ति के अन्तर्गत किसी वाद या अन्य कार्यवाही के अनुक्रम में किया गया कोई आदेश या कोई विवाद्यक विनिश्चित करने वाला कोई आदेश भी है।" तद्नुसार आक्षेपित आदेश पुनरीक्षण योग्य है वैसे भी यदि किसी अभिलेखीय साक्ष्य के प्रासंगिक एवं महत्वपूर्ण होने के उपरान्त भी वह संज्ञान लिये जाने से छूट जाए तो न्याय के ह्रास होने की सम्भावना बनी रह सकती है जिसका प्रभाव वाद की अंतिम विनिश्चय पर पड़ना अवश्यम्भावी है।

आलोच्य प्रकरण में इतना अवश्य है कि प्रस्तुतीकरण अत्यंत अनियमित ढंग से किया गया है। पहले सूची कागजात/अभिलेख प्रस्तुत किये गये जिसके साथ कोई प्रार्थना पत्र संलग्न नही है। प्रस्तुत अभिलेखों की प्रासंगिकता एवं महत्व के सम्बन्ध में एवं उनको ग्रहण किये जाने की अनिवार्यता के सम्बन्ध में कोई तथ्य अथवा आधार नही प्रस्तुत है। प्रार्थना पत्र दिनांक 05–08–2014 का जंहा तक प्रश्न है यह निकटवर्ती तिथि देने सम्बन्धी प्रार्थना पत्र था जिसके प्रथम एवं द्वितीय प्रस्तर के अंतिम पंक्तियों में अपरलेखन कर प्रस्तुत दस्तावेजों को स्वीकार किया जाना जरूरी होना एवं उन्हें स्वीकार किये जाने के तथ्य अंकित किये गये है। इस सम्बन्ध में वादी/पुनरीक्षणकर्ता के सम्बन्धित विद्वान अधिवक्ता का कृत्य (conduct)

अनियमित रहा है। पुनरीक्षण स्तर पर भी जिस प्रकार पुनरीक्षण प्रस्तुत किया गया है उससे भी सम्बन्धित विद्वान अधिवक्ता का अनियमित कृत्य ही परिलक्षित होता है परन्तु इस हेतु वादी/पुनरीक्षणकर्ता को दण्डित करना अन्यायपूर्ण होगा।

जंहा तक धारा–34 भू0रा0अधि0 अथवा लम्बित 229बी जमी0वि0अधि0 के अन्तर्गत कार्यवाही अथवा वाद का प्रश्न है उनके सम्बन्ध में इस स्तर से कोई टिप्पणी करना आवश्यक नही है न ही वे इस पुनरीक्षण के आवश्यक बिन्दु हैं। उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का जंहा तक प्रश्न है, वादी/पुनरीक्षणकर्ता द्वारा उद्वरित बैजनाथ बनाम पांचू 2001(92) आर0डी0 24(एच0) में मा0राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश ने पुनर्स्थापन का अवसर प्रदान न करने को नैर्सिक न्याय का सिद्वान्तों का हनन माना है जो वर्तमान प्रकरण में भी लागू होता है। पूरनचन्द्र बनाम गोपाल राम 2001(92)आर0डी0.36 (एच0) में पारित दृष्टान्त इस प्रकरण में प्रासंगिक नही है जबकि ज्ञान दास बनाम शिवधारी 2011(112) आर0डी0 57(एच0) में मा0 राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश ने यांत्रिक मानसिकता द्वारा पारित आदेश को न्यायिक आदेश नही माना है अतः यह व्यवस्था तद्नुसार वर्तमान प्रकरण मे भी सटीक बैठती है। अरविन्द कुमार बनाम श्रीमती नूरजहाँ 2015 (1) यू0ए0डी0 734 में अवधारित दृष्टान्त वर्तमान प्रकरण में प्रासंगिक नही है।

दूसरी ओर प्रतिउत्तरदाता की ओर से प्रस्तुत कुमार शकुन्तला देवी बनाम श्रीमती राम देवी 1969 आर0डी0 224 मे अवधारित न्यायिक दृष्टान्त वर्तमान प्रकरण में इसलिए प्रासंगिक नही है क्योंकि उद्वरित प्रकरण में धारा–161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत विवेचना अधिकारी के समक्ष अभिलिखित बयानों के आधार पर मौखिक साक्ष्य का अवसर चाहा गया था एवं धारा–161 के बयान साक्ष्य में ग्रहण नही होते हैं। भुवन चन्द्र शाह एवं अन्य बनाम अपर आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल 2014(1) यू0डी0 450 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्वान्त का जहां तक प्रश्न है वह लम्बित वाद के निस्तारण हेतु प्रासंगिक हो सकता है परन्तु इस स्तर पर यह प्रासंगिक नही है। इसी प्रकार श्रीमती लखपती व अन्य बनाम राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश व अन्य 1984 आर0डी0 378, श्रीमती वेदवती बनाम राजवीर सिंह 1994 आर0डी0 164 एवं वीरसिंह बनाम करन सिंह 2003(95) आर0डी0 26 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्वान्त घोषणात्मक वाद की ग्राहयता के सम्बन्ध में है जो कि वर्तमान प्रकरण में प्रासंगिक नही है। घोषणात्मक वाद अधीनस्थ न्यायालय में लम्बित है, इस सम्बन्ध में कोई भी विधिक बिन्दु अथवा तर्क किसी पक्ष को प्रस्तुत करना हो वह उस स्तर पर प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है।

उपर्युक्त विवेचना के क्रम में जो स्थिति उभरती है वह यह है कि अभिलेखीय साक्ष्य प्रेस्तुत करने का अवसर निकल गया था तथापि वाद का स्तर इतना परिपक्व नही था कि ऐसे अभिलेखीय साक्ष्य प्रासंगिक एवं महत्वपूर्ण होने की दशा में ग्रहण करने पर विचार ही नही किया जाता। आक्षेपित आदेश द्वारा अतिरिक्त अभिलेखीय साक्ष्य को ग्रहण किये जाने के सम्बन्ध में कोई परीक्षण उसकी प्रासंगिकता/ग्राहयता/महत्व के सम्बन्ध में नही किया गया न

ही यह देखा गया कि क्या सूचीबद्ध सभी अथवा कोई अभिलेख वाद में निहित विवाद्यकों के निस्तारण में सहायक होगा/होंगे। मात्र एक सूक्ष्म एवं अविवेचित व अस्पष्ट/धुंधले आदेश से बिना कोई कारण अंकित किये हुए तत्सम्बन्धी प्रार्थना पत्र अस्वीकृत किये गये। तद्नुसार आक्षेपित आदेश दिनांक 28–11–2014, दिनांक 23–03–2015 न्याय की दृष्टि में कोई आदेश नही है अर्थात bad in law है। जो कि खण्डनीय है एवं प्रकरण में अतिरिक्त अभिलेखीय साक्ष्य ग्रहण किये जाने की प्रार्थना का नये सिरे से देखा जाना न्यायोचित है।

आदेश

पुनरीक्षण स्वीकार कर आदेश दिनांक 28–11–2014 एवं 23–03–2015 खण्डित किये जाते हैं वाद की पत्रावली इस आशय से प्रतिप्रेषित की जाती है कि अतिरिक्त अभिलेखीय साक्ष्य को स्वीकार किये जाने की प्रार्थना नये सिरे से विचारित की जाए एवं ऐसे अभिलेखीय साक्ष्य की वाद के निस्तारण में प्रासंगिकता एवं महत्व पर सम्यक विचार करते हुए इस सम्बन्ध में विधिसम्मत आदेश पारित किये जाए। यदि अधीनस्थ न्यायालय प्रश्नगत अभिलेखीय साक्ष्य अथवा उसके किसी अंश को ग्रहण करने में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि साक्ष्य को प्रस्तुत करने में विलम्ब किया गया तो प्रतिपक्ष को उचित हर्जाना (cost) दिलवाने के लिए स्वतंत्र है।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)।

आज दिनांक 24–02–2016 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)।